

2021

434

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोत्रा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेश सोनी (RAS)

वादी

प्रतिवादी ग्रंथ

उनवान 1) दुदाराण s/o सोनाराम

कोदराम पुत्र राजाराम बनाम 2) देवराज पुत्र राजाराम

3) तहसीलदार यन्चपरा

दावा बाबत Rs 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 106 / 2021

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

वादी की ओर से कोदराम पुत्र राजाराम की व प्रतिवादी की ओर से दुदाराण व देवराज व उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 को नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, बालोत्रा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - वादी के वाद को स्वीकार कर मौजा

बोदला पुरोहितान के क्षेत्र बस्ता न. 736 खजाना

33.16 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम कोदराम


के स्थान पर कोदराम पुत्र राजाराम घोषित किया जाता है।

तहसीलदार यन्चपरा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में कोदराम

करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....